भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **5573** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 4 अप्रैल, 2025/ 14 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है

राष्ट्रीय जलमार्गों की स्थिति

5573. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे :
श्री बलवंत बसवंत वानखडे :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और अन्य नदियों में जल परिवहन अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय जलमागों की वर्तमान स्थिति क्या है और वास्तव में कितने जलमार्ग प्रचालनरत हैं;

(ग) क्या सरकार के पास जलमार्ग अवसंरचना के विकास के लिए निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश को आकर्षित करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जल परिवहन को अधिक किफायती और वाणिज्यिक रूप से सफल बनाया जाए;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): वर्ष 2023-24 के दौरान, गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली (राष्ट्रीय जलमार्ग-1) और ब्रह्मपुत्र नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग-2) पर क्रमशः 12.82 मिलियन टन और 0.59 मिलियन टन कार्गो की आवाजाही दर्ज की गई। राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)-1 और रा.ज.-2 की क्षमता बढ़ाने के लिए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने क्रमशः 5061 करोड़ रुपए

और 862 करोड़ रुपए की लागत से व्यापक विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू किया है। इसके अतिरिक्त, जल परिवहन की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए मथुरा और दिल्ली में यमुना सहित अन्य नदियों पर अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचना को बढ़ाने का काम शुरू किया गया है।

(ख): वर्तमान में, 29 राष्ट्रीय जलमार्ग, कार्गो/यात्री आवागमन के लिए चालू हैं।

(ग): राष्ट्रीय जलमार्ग (जेट्टी/टर्मिनलों का निर्माण) विनियम, 2025 को आईडब्ल्यूएआई द्वारा 04.03.2025 को अधिसूचित किया गया है, जिसके अंतर्गत निजी क्षेत्र आईडब्ल्यूएआई से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय जलमार्गों के किनारों पर जेट्टी/टर्मिनलों का विकास कर सकते हैं।

(घ) से (च): आईडब्ल्यूएआई ने भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास और संवर्धन पर उल्लेखनीय जोर दिया है, जो किफायती और पर्यावरण अनुकूल है। अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अवसंरचना और नीतिगत उपायों में शामिल हैं: (क) अवसंरचना संबंधी उपाय जैसे फेयरवे रखरखाव कार्य (नदी प्रशिक्षण, रखरखाव ड्रेजिंग, चैनल मार्किंग और नियमित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण), सामुदायिक जेट्टी, फ्लोटिंग टर्मिनलों, मल्टी-मॉडल टर्मिनलों, इंटर-मॉडल टर्मिनल और नौचालन लॉक आदि का निर्माण। (ख) नीतिगत उपाय जैसे; जलवाहक योजना का शुभारंभ, राष्ट्रीय जलमार्ग (जेट्टी/टर्मिनल का निर्माण) विनियम, 2015 की अधिसूचना, पत्तनों के साथ एकीकरण, डिजिटलीकरण, कार्गो एकत्रीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा कार्गो को शिफ्ट करना और नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना।

*****